मानव व्यापार कानुनी संघर्व टूलकिट

बँधुवा श्रम हस्तछेपों की SOP

अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ

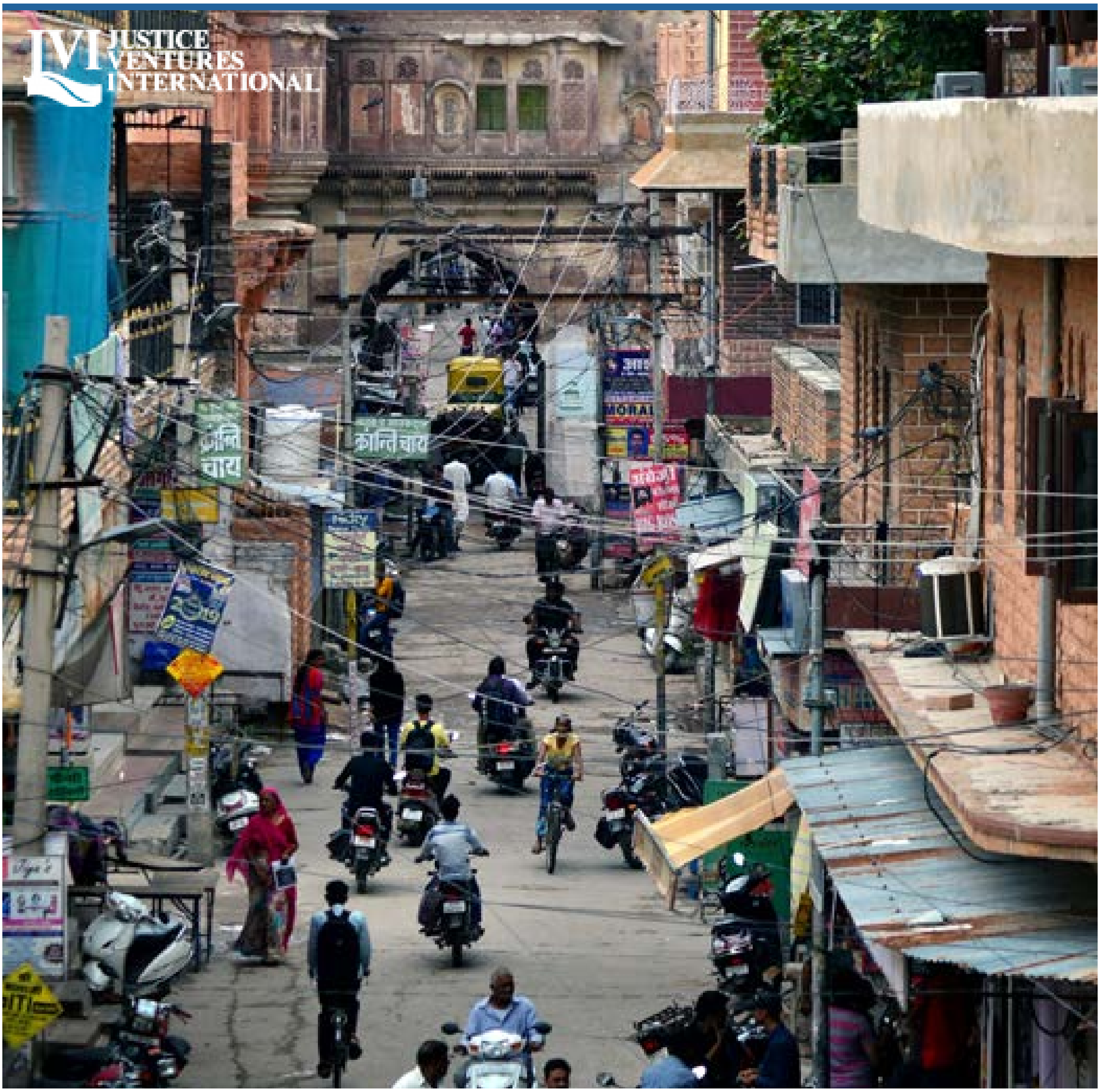

अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियों का सारांश

चरण: १
अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की पहचान करना

चरण: २
अवैध यौन व्यापार की शिकायत दर्ज कराना

चरण: ३
अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की योजना तैयार करना

चरण: ४
पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक करना

चरण: ५
अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव शुरू करना

चरण: ६
अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की जगह को सुरक्षित करना

चरण: ७
अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को आरोपितों से अलग करना

चरण: ८
अवैध यौन व्यापार के साक्ष्य इकट्ठे करना

चरण: ९
अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करना

चरण: १०
पीड़ितों की सुरक्षा करने वाली अभिरक्षा सुनिश्चित करना

चरण 1 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की पहचान करना

समयसीमा: अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की पहचान की प्रक्रिया में एक से सात दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी को साबित करने वाली जानकारी इकट्ठी करके उसकी पुष्टि करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, IPC की धारा 370, और दूसरे लागू क़ानूनी उपबंधों के तहत अवैध यौन व्यापार के क़ानूनी पहलुओं को साबित करती है या नहीं।

व्याख्या

NGO को इनमें से किसी भी स्रोत से जानकारी मिल सकती है: • पीड़ित या पीड़ितों के परिवार/समुदाय/बच निकला कोई व्यक्ति • NGO/समुदाय के नेता • मानव व्यापार-रोधी इकाइयाँ (राज्य और ज़िला स्तरीय) • CWC • ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो • पीड़ित • मुख़बिर NGO स्रोत और पारगमन बिंदुओं पर और माँग वाले क्षेत्रों में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करके और मीडिया रिपोर्टों से भी जानकारी हासिल कर सकता है।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया क़ानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों के अनुसार संचालित हो, न कि बलपूर्वक। • पीड़ित या पीड़ितों के परिवार/समुदाय/बच निकला कोई व्यक्ति • NGO/समुदाय के नेता • मानव व्यापार-रोधी इकाइयाँ (राज्य और ज़िला स्तरीय) • CWC • ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो • पीड़ित • मुख़बिर अधिवक्ता को प्रलोभन अभियानों से संबंधित मामलों और जानकारी इकट्ठी करते समय गोपनीयता के बारे में भी NGO को सलाह देनी चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

अवैध यौन व्यापार का पीड़ित कौन है: वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की जाँच के प्रयोजन से, "पीड़ित" वह व्यक्ति है जिसे, यौन शोषण के प्रयोजन से, बल या दबाव के अन्य रूपों, अपहरण, धोखाधड़ी, छल-कपट, शक्ति के दुरुपयोग की धमकियों या के उपयोग द्वारा, भर्ती किया गया है, उसका परिवहन या स्थानांतरण किया गया है, उसे आश्रय दिया गया है या उसे प्राप्त किया गया है।[1]

ITPA के अनुसार, अवैध व्यापार का पीड़ित हो सकता है:

- कोई बच्चा: 16 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति
- कोई अवयस्क: 16 वर्ष या अधिक परंतु 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति
- कोई वयस्क: 18 वर्ष या अधिक की आयु वाला व्यक्ति

[1] देखें Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, 2000.

जानकारी और गुप्त सूचनाएँ एकत्र करने के साधन: निम्नलिखित साधनों और स्थानों से वाणिज्यिक यौन शोषण के होने से संबंधित जानकारी की पहचान की जा सकती है:

- **स्रोत स्थान:** स्रोत स्थानों में पीड़ितों और संभावित पीड़ितों के बारे में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें। पीड़ितों में वे महिलाएँ और बच्चे शामिल होते हैं जिन्हें यौन प्रकृति के कृत्य करने पर विवश किया गया है। अधिक जोखिम वाले स्थानों और समुदायों पर क़रीबी नज़र रखने से असुरक्षित पीड़ितों के व्यापार को रोकने में सहायता मिलेगी। NGO को समुदाय के लोगों को इस बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए कि वे पीड़ितों के अनियमित रूप से आने-जाने पर नज़र रखें। स्रोत स्थानों से बच निकले लोगों के साक्षात्कार से भी गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी की जा सकती हैं।
- **पारगमन बिंदु:** लाए/ले जा रहे या आ-जा रहे पीड़ितों और दोषियों के बारे में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करने के लिए पारगमन बिंदुओं पर दल तैनात करें। पारगमन बिंदुओं में बस स्टॉप/स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सीमाओं पर स्थित आप्रवासन या कस्टम ऑफ़िस और घूमने-फिरने की जगहें शामिल हैं।
- **गंतव्य स्थान:** उन स्थानों पर या गतिविधियों से गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें जहाँ वाणिज्यिक यौन शोषण होता है, जैसे मसाज पार्लर, वेश्यालय, सेक्स टूरिज़्म के संचालक, डांस बार और होटल।
- **प्रलोभन अभियान:** प्रलोभन अभियान चलाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सावधानियाँ: जानकारी प्राप्त करते समय ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए:

- **गोपनीयता बनाए रखें:** पीड़ितों, तलाशे जाने वाले बचाव स्थल, और वेश्यालय स्वामियों या दलालों से संबंधित जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए। NGO प्रतिनिधियों या अधिवक्ताओं को ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए जिनका अभियान से कोई संबंध नहीं है।
- **स्थानीय पुलिस से संपर्क करें:** यदि आपका यह मानना है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अवैध यौन व्यापार के किसी पीड़ित के बारे में जानकारी मिली है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को सतर्क करें। अपने बूते पीड़ित की सहायता करने या उसे बचाने की कोशिश न करें। कोई भी NGO या व्यक्ति अपने बूते बचाव कार्य नहीं कर सकता है और उसे पुलिस अधिकारियों से सहायता चाहिए होती है।
- **स्थानीय पुलिस स्टेशन/AHTU/CBI के पास जमा करने के लिए शिकायत तैयार करना:** NGO प्रतिनिधि लिखित शिकायत या विधिक हस्तक्षेप रिपोर्ट (लीगल इंटरवेंशन रिपोर्ट, LIR) तैयार करने में किसी अधिवक्ता से सहायता ले सकते हैं। लिखित शिकायत या विधिक हस्तक्षेप रिपोर्ट में सभी उल्लंघन लिखे होने चाहिए और क़ानून की सभी लागू धाराएँ लगवाने की माँग की जानी चाहिए।

प्रलोभन अभियान: प्रलोभन अभियान चलाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रलोभन अभियान में एक व्यक्ति गुप्त रूप से जाता है (इस व्यक्ति को 'प्रलोभक' कहते हैं) वह अपने वेष का उपयोग करके वाणिज्यिक यौन शोषण की मौजूदगी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। प्रलोभक ऐसी अन्य जानकारी इकट्ठी करने में भी सहायता करता है जो बचाव अभियान चलाने में उपयोगी हो सकती है पर जो ऐसे अभियान के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती थी। प्रलोभन अभियान ख़तरनाक होते हैं और केवल किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को ही प्रलोभक बनाना चाहिए।

किसे प्रलोभक बनाया जा सकता है: किसी पुलिस अधिकारी को, NGO के किसी प्रतिनिधि को या प्रलोभक के रूप में भेजे जाने को तैयार किसी अन्य व्यक्ति को प्रलोभक बनाया जा सकता है।
- प्रलोभक किसका वेष धर सकता है: प्रलोभक नक़ली ग्राहक का वेष धर सकता है।
- प्रलोभक को जानकारी दें: प्रलोभक को पीड़ितों की हालत के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और ऐसे अभियानों के संचालन से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया जाना चाहिए। प्रलोभक को मानव व्यापार के पीड़ित की असुरक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए और उसे न तो अपनी मौजूदगी से पीड़ित को और परेशान करना चाहिए और न ही उसे हालात का फ़ायदा उठाना चाहिए।

अवैध यौन व्यापार के हस्तक्षेपों में प्रलोभक ग्राहक की भूमिका और महत्व: प्रलोभक ग्राहक को नक़ली ग्राहक भी कहते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि बचाव अभियान के दौरान लक्षित पीड़ित वेश्यालय में मौजूद हो। प्रलोभन अभियानों के दौरान, किसी लड़की के यौन शोषण के बारे में ठोस साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में वेश्यालय के रखवाले/प्रबंधक/स्वामी से सौदे के चिह्नित धन की बरामदगी से उसके अपराध में लिप्त होने का साक्ष्य मिल जाता है। यदि मुक़दमे के दौरान पीड़ित का पता न चले तो भी, प्रलोभक और स्वतंत्र गवाह की गवाही के आधार पर वेश्यालय के संचालन का दोष सिद्ध हो सकता है; उन दोनों की गवाही के बिना मुक़दमा आगे नहीं बढ़ेगा।

प्रलोभक ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु: प्रलोभक ग्राहक को निम्नलिखित बिंदु ध्यान में रखने चाहिए।

- प्रलोभक ग्राहक की अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए।

- वह बहुत युवा पुरुष नहीं होना चाहिए।
- उसका किसी NGO से होना बेहतर है।
- उसे अवैध यौन व्यापार या बदनाम गलियों के कामकाज की जानकारी होनी चाहिए।
- उसे वेश्यालय भेजे जाने से पहले विशेष पुलिस अधिकारी से उसका परिचय करवाना चाहिए।
- बचाव-पूर्व रिपोर्ट (पंचनामे) के दौरान, प्रलोभक ग्राहक का विवरण लिखना चाहिए। उसकी तलाशी ली जानी चाहिए और उसके पास जो-जो चीज़ें हों उनकी एक सूची बनानी चाहिए।
- प्रलोभक ग्राहक को अभियान का महत्व समझाया जाना चाहिए। SPO को उसे बताना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
- सौदे का चिह्नित धन स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस द्वारा प्रलोभक ग्राहक को दिया जाएगा। प्रलोभक ग्राहक को चिह्नित/नोट किया हुआ धन वेश्यालय के रखवाले/प्रबंधक/स्वामी को चुकाना चाहिए।
- उसे पीड़ित के साथ यौन गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- सौदा होते ही उसे पुलिस को पहले से तय कोड की मदद से सूचित करना चाहिए।
- जब पुलिस वेश्यालय पहुँच रही हो तो उसे लड़की को अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए और उसे कमरे से जाने देना नहीं चाहिए।
- यदि उसे लड़की को छोड़कर जाने के लिए विवश किया जाए (छापे के संदेह/जानकारी लीक हो जाने के कारण), तो उसे लड़की के साथ जाना चाहिए ताकि वह देख सके कि उसे कहाँ छिपाया जा रहा है।
- पुलिस अधिकारी को प्रलोभक ग्राहक का बयान लिखित में नोट करना चाहिए।
- मुक़दमे के दौरान प्रलोभक ग्राहक को न्यायालय में गवाह के रूप में पेश किया जाना चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अवैध यौन व्यापार का पीड़ित कौन है (वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार): ITPA की धारा 5 इस बारे में जानकारी देती है कि वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार का पीड़ित कौन है। अध्याय 4 में बताए गए मानव व्यापार के पहलुओं के बारे में और जानें।

अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी को दस्तावेज़ी रूप दें: NGO प्रतिनिधियों को अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी को सावधानी से दस्तावेज़ी रूप देना चाहिए।

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: मानव व्यापार से जुड़े मिथकों के बारे में **परिशिष्ट 21** में जानें।

चरण 2 अवैध यौन व्यापार की शिकायत दर्ज कराना

समयसीमा: अवैध यौन व्यापार की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग करके पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारियों के सामने पेश करने के लिए अवैध यौन व्यापार की शिकायत का मसौदा तैयार करना चाहिए।	अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार की शिकायत की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह शिकायत अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव शुरू करने पक्ष में एक ठोस दलील पेश करती हो, और उसे पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारियों के सामने वह शिकायत पेश करने में NGO की सहायता करनी चाहिए।

व्याख्या

NGO को मुख़बिर के साथ जानकारी पर विस्तार से चर्चा करके जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

हालाँकि, NGO जानकारी की सूचना तुरंत उपयुक्त अधिकारियों को देने के कर्तव्य से बाध्य है क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है।

मुख़बिरों से प्राप्त उपलब्ध जानकारी के प्रमाणन के लिए प्रलोभन अभियान या विस्तृत सर्वेक्षण दौरे संचालित किए जा सकते हैं।

अधिवक्ता को निश्चित करना चाहिए कि मानव व्यापार के पहलू, जैसे IPC और ITPA में परिभाषित हैं, संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि व्यक्ति का व्यापार हुआ है या नहीं और पीड़ित के विरुद्ध अन्य अपराध किए गए हैं या नहीं। अधिवक्ता को पुलिस स्टेशन में, या जहाँ भी शिकायत दर्ज की जा रही हो वहाँ, उपस्थित रहकर सुनिश्चित करना चाहिए कि क़ानून की उपयुक्त धाराएँ शामिल की जाएँ और, यदि आवश्यक हो तो, स्पष्टीकरण दिया जाए।

सस्मरणीय बिंदु

शिकायतकर्ता कौन है: बचाव से पहले, NGO पीड़ित के नाम में या पीड़ित के परिवार/संरक्षक के नाम में शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि परिजन का पता न चल पा रहा हो, तो NGO प्रतिनिधि को शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है।

अवैध यौन व्यापार की शिकायत कहाँ की जानी चाहिए: ITPA के तहत अवैध यौन व्यापार की शिकायत (या जानकारी), जिस क्षेत्राधिकार या क्षेत्र में अपराध हुए हैं वहाँ के संबंधित स्थानीय विशेष पुलिस अधिकारी (स्पेशल पुलिस ऑफ़िसर, SPO) से या ज़िले/राज्य की AHTU से या CBI से की जानी चाहिए।[2] शिकायत किसी ऐसे SPO के पास दर्ज कराना बेहतर है जो विश्वसनीय हो और जिसे जानकारी लीक होने के ख़तरे के बिना बचाव पर ले जाया जा सकता हो।

सीमापार पूछताछ/जाँच करना: सीमापार पूछताछ/जाँच के मामले में विदेशों से जानकारी इकट्ठी करने/की पुष्टि करने हेतु ज़िला पुलिस के लिए पाँच विशिष्ट माध्यम उपलब्ध हैं:

a. संबंधित देश में भारतीय मिशनों (दूतावासों या उच्चायोगों) से किसी भी प्रकार की साधारण जानकारी के लिए उचित साधनों से संपर्क किया जा सकता है।
b. विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ ओवरसीज़ इंडियन अफ़ेयर्स, MOIA), भारत सरकार से भी भारतीय उत्प्रवासियों से संबंधित जानकारी के लिए उचित साधनों से संपर्क किया जा सकता है।
c. राज्य के इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (इंटरपोल लिएज़न ऑफ़िसर, ILO) के कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के इंटरपोल विंग के ज़रिए संबंधित देश की इंटरपोल शाखा से संपर्क किया जा सकता है।
d. गृह मंत्रालय (भारत सरकार)
e. विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) मानक प्रचालन कार्यविधियाँ

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अपराधों का सारांश: लागू हो सकने वाले दंड उपबंधों के बारे में जानकारी के लिए, अध्याय 4 में दिया गया अपराधों का सारांश देखें।

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: यदि पुलिस कोई क़दम न उठाए, तो अधिवक्ता को तुरंत उच्च अधिकारियों से या किसी उपयुक्त मंच से संपर्क करके क़ानून द्वारा आवश्यक किए गए के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश पारित करने के निर्देशों की माँग करनी चाहिए।

आरोपित को उपस्थित होने का आदेश देने और SHO से प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने के लिए मैजिस्ट्रेट को किया जाने वाला आवेदन कैसे लिखें इस बारे में जानकारी के लिए **परिशिष्ट 22A** देखें।

[2] धारा 15 (1) ITPA (ध्यान दें: MHA ने HT से संबंधित अपराधों का पता लगाने के लिए भारत के सभी राज्यों और ज़िलों में AHTU का गठन अनिवार्य किया है। CBI को भी HT से संबंधित अपराधों का पता लगाने और उनकी जाँच करने का आदेश मिला हुआ है)। अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: <http://timesofindia.indiatimes.com/india/CBI-sets-up-centralized-anti-human-trafficking-unit/articleshow/11369341.cms?referral=PM

चरण 3 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की योजना तैयार करना

समयसीमा: बचाव हस्तक्षेप योजना तैयार करने में एक दिन लग सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को पुलिस और संबंधित अधिकारियों के परामर्श के साथ अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की एक चौतरफ़ा योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें संबंधित जगह का पूरा नक्शा होना चाहिए।	अधिवक्ता को बचाव योजना तैयार करने में NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें ITPA के तहत जितने ज़रूरी हैं उतने नक़ली ग्राहक और पंच गवाह/स्वतंत्र गवाह शामिल हों।

व्याख्या

NGO को बचाव अभियान के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए। योजना में स्थान की जानकारी, बचाव स्थल का भौतिक नक्शा, प्रवेश और निकास बिंदु, छिपने के ठिकाने, और बचाव स्थल का स्केच नक्शा होने चाहिए। ऊपर लिखे विवरण, तलाशे जाने वाले स्थान के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त और संकलित किए जाने चाहिए।

अधिवक्ता बचाव योजना की तैयारी में NGO प्रतिनिधियों की सहायता कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि बचाव अभियान की योजना क़ानून द्वारा निर्धारित कार्यविधियों के अनुरूप बनाई जाए।

सस्मरणीय बिंदु

जोखिम आकलन: NGO को बचाव में शामिल जोखिमों के लिए व्यवस्थित जोखिम आकलन करना चाहिए और उसके पास उन्हें न्यूनतम करने की एक योजना होनी चाहिए। जोखिमों के आकलन के लिए अन्य कई कारकों की पड़ताल करनी चाहिए, जैसे तलाशा जाने वाला स्थान कहाँ पर है, मानव व्यापारियों का ब्यौरा, और समाज में आरोपित की स्थिति। जोखिमों को न्यूनतम करने की संभावित प्रतिक्रियाएँ और, अप्रत्याशित परिस्थितियों में काम आने वाली आकस्मिकता योजना बड़ी ही सावधानी से तैयार की जानी चाहिए।

बचाव स्थल की जानकारी किसी को न बताएँ: बचाव स्थल का भौतिक नक्शा गोपनीय रखना चाहिए। पहले ऐसा हो चुका है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी लीक होने पर पीड़ित लापता हो गए थे। बहुत अधिक हितधारकों को जानकारी देने से बचना ही बेहतर है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बचाव से पहले की योजना: बचाव से पहले की योजना के नमूने के लिए JVI से संपर्क करें; इस नमूने में दल सदस्यों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ लिखी हैं।

अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेप जाँचसूची: परिशिष्ट 28 में अवैध यौन व्यापार/CSE हस्तक्षेप बचाव अभियान के लिए एक जाँचसूची है।

चरण 4 पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक करना

समयसीमा: पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक एक दिन में पूरी की जा सकती है।

NGO

NGO को बचाव योजना के अनुसार एक बचाव-पूर्व बैठक करनी चाहिए जिसमें दल के सदस्यों को उनकी भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को बचाव-पूर्व बैठक में NGO और सरकारी प्रतिनिधियों को किए जाने वाले बचाव कार्य से जुड़े क़ानूनी प्रावधानों और ज़रूरी जानकारी के बारे में बताकर NGO को सलाह व सहायता देनी चाहिए।

व्याख्या

दल नायक नियुक्त करें जो बचाव की रणनीति और बचाव के दौरान उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में समझाएगा। दल नायक बचाव अभियान के सहभागियों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपेगा और उन्हें उनकी भूमिका समझाएगा। बचाव स्थलों की संख्या कितनी है और पीड़ितों की अपेक्षित संख्या कितनी है इस आधार पर सहभागियों को समूहों में बाँट दें।

हर समूह में एक दल नायक नियुक्त करें। हर सहभागी और दल नायक के नाम व संपर्क जानकारी और हर समूह की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ साझा करें।

बचाव में भाग लेने से पहले, दल सदस्यों के पास मानव व्यापार और व्यक्तियों के वाणिज्यिक यौन शोषण से संबंधित क़ानूनों की जानकारी होनी चाहिए।

ध्यान दें: जो दल पहचान/सत्यापन/गुप्त सूचना के एकत्रण में शामिल था उसे किसी भी परिस्थिति में बचाव में शामिल नहीं करना चाहिए ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे और प्रभावी बचाव अभियान सुनिश्चित हो।

बचाव के दौरान पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड हो इसके लिए दो पंच गवाहों के होने की सलाह दी जाती है।

पुलिस और NGO प्रतिनिधियों की बचाव-पूर्व बैठक में अधिवक्ता को पुलिस को तुरंत क़दम उठाने पर सहमत करने के लिए उपस्थित होना चाहिए। इस बैठक में अधिवक्ता को NGO और सरकार के प्रतिनिधियों को मानव व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर, मानव व्यापार से जुड़े क़ानूनी उपबंधों पर, और मानव व्यापार से संबंधित मिथकों और वास्तविकताओं पर संवेदनशील बनाना चाहिए।

अधिवक्ता को ITPA के तहत आवश्यक पंच गवाहों या स्वतंत्र गवाहों को जुटाने की प्रक्रिया भी समझानी चाहिए। अधिवक्ता को पुलिस अधिकारियों को पंच गवाहों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह देनी चाहिए। (मुक़दमे के दौरान गवाहों के विरोधी हो जाने से बचने हेतु विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी या अर्द्ध-सरकारी अधिकारियों को पंच गवाह बनाया जा सकता है)।

और अंत में, अधिवक्ता को यह अनुरोध करना चाहिए कि पुलिस बचाव अभियान के लिए प्रलोभक ग्राहक (नक़ली ग्राहक) प्रदान करे। यदि पुलिस ऐसा न कर पाए, तो अधिवक्ता NGO के परामर्श के साथ कोई प्रलोभक ग्राहक प्रदान कर सकता है। स्वतंत्र गवाहों/पंचों से प्रलोभक ग्राहकों का परिचय कराना चाहिए। पुलिस को सौदे का धन देना चाहिए जिसे बचाव के दौरान पंच की उपस्थिति में दलाल/वेश्यालय स्वामी को दिया जाएगा।

सस्मरणीय बिंदु

बचाव दल का संघटन: बचाव दल में पदनामित विशेष पुलिस अधिकारी या मानव व्यापार पुलिस अधिकारी, NGO के प्रतिनिधि और समाजसेवी (जिनमें से एक महिला हो) होने चाहिए। बचाव दल का गठन इन्हें मिलाकर होना चाहिए:

- किसी भी रैंक की दो महिला स्टाफ़। यदि महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तो कोई भी महिला अधिकारी और NGO की एक महिला समाजसेवी साथ में उपस्थित रह सकती हैं। यदि कोई भी महिला स्टाफ़ उपलब्ध न हो, तो चाइल्डलाइन से संपर्क करके उनकी किसी स्टाफ़ से आने को कहें।

- ऐसा कम-से-कम एक पुलिस अधिकारी जिसके पास बचाव अभियान चलाने की क़ानूनी शक्ति हो या SI से ऊपर की रैंक का कोई पुलिस अधिकारी जिसे मैजिस्ट्रेट[3] ने बचाव अभियान चलाने के लिए विधिवत अधिकृत किया हो। ITPA, 1956 के तहत निम्नलिखित पुलिस अधिकारी अपराधों की जाँच के लिए अधिकृत हैं:[4]
  - धारा 13 (1), (2) के तहत अधिसूचित पुलिस अधिकारी;
  - धारा 13(3)(a) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधीनस्थ पुलिस अधिकारी; या
  - धारा 13(4) के तहत केंद्रीय मानव व्यापार (रोधी) अधिकारी।

एक दल नायक नियुक्त करें: एक दल नायक नियुक्त करें जो बचाव की रणनीति और बचाव के दौरान उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में समझाएगा। दल नायक को बचाव अभियान के सहभागियों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए और उन्हें उनकी भूमिका समझानी चाहिए। बचाव स्थलों की संख्या कितनी है और पीड़ितों की अपेक्षित संख्या कितनी है इस आधार पर सहभागियों को समूहों में बाँट दें। हर समूह में दल नायक नियुक्त करें। हर सहभागी के नाम व संपर्क जानकारी, दल नायक के नाम व संपर्क जानकारी और हर समूह की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ साझा करें।

अवैध यौन व्यापार संबंधी क़ानूनों से परिचित हों: बचाव में भाग लेने से पहले, दल के सदस्यों को अवैध यौन व्यापार से संबंधित सभी क़ानूनों से स्वयं को परिचित बनाना चाहिए।

बचाव-पूर्व जाँचसूची:

- **बचाव किट तैयार करें:** किट में लेखन-सामग्री, कैमरा, टॉर्च, बैटरी, वीडियो कैमरा, जलपान (पेयजल, अल्पाहार), प्राथमिक उपचार किट, वाहन, प्रिंटर और कार्ट्रिज, लैपटॉप और चार्जर, संदर्भ सामग्री जैसे केस से संबंधित क़ानून और अधिनियमों की शब्दशः प्रति), पीड़ित जिस क्षेत्राधिकार के हैं उनमें आने ज़िलों, गाँवों और पुलिस स्टेशनों की सूची, कपड़े, शौचालय सामग्री, और क्रियाकलाप पुस्तिकाएँ, मोम के रंग, और रंगीन पेंसिलें (यदि बचाए जाने वाले पीड़ितों में बच्चे भी हों)। बचाव से काफ़ी पहले ही सामान पहुँचाने की व्यवस्था के लिए एक संपर्क व्यक्ति नियुक्त कर लें।

- **आश्रय गृहों को सतर्क करें:** बचाव स्थल के विश्वसनीय सरकारी/NGO आश्रय गृहों को बचाए जाने वाले लोगों की लगभग अपेक्षित संख्या और उन्हें आश्रय गृह लाए जाने के संभावित दिनांक के बारे में सूचित करें। सुनिश्चित करें कि NGO द्वारा संचालित आश्रय गृह सरकार से लाइसेंस-प्राप्त हों। यह कार्य गोपनीय ढंग से करना चाहिए ताकि बचाव अभियान की जानकारी ग़लत हाथों में न पड़ने पाए। NGO प्रतिनिधियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे विश्वसनीय आश्रय गृहों का एक डेटाबेस बनाकर रखें। NGO प्रतिनिधियों को वह सूची ज़िलाधिकारी या CWC और अधिवक्ता को देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि पीड़ितों को किसी विश्वसनीय आश्रय गृह भेजा जाए। जब भी कभी संभव हो तब NGO को MOU करके विश्वसनीय आश्रय गृहों से अपने कामकाजी संबंध को मज़बूती देनी चाहिए। साथ ही, जहाँ आश्रय गृह उपलब्ध नहीं हैं वहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएँ करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को ज़िलाधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

- **बचाव दल का आकार:** सुनिश्चित करें कि SPO बचाव अभियान के आकार के आधार पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक शामिल करें, विशेष रूप से अधिक जोखिम वाले स्थानों में। किसी भी परिस्थिति में बचाव अभियान पुलिस सुरक्षा के बिना संचालित नहीं किए जाने चाहिए।

उपयोगी प्रश्नों से परिचित हों: बचाव में भाग ले रहे NGO प्रतिनिधियों को बचाव के लिए जाने से पहले ख़ुद को मानक बचाव प्रोटोकॉल से परिचित करना चाहिए।

[3] देखें धारा 16 (1), ITPA.

[4] UNODC SOP on Investigating Crimes of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation, 2007. यहाँ उपलब्ध: <https://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf>.

चरण 5 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव शुरू करना

समयसीमा: वास्तविक बचाव कार्य एक दिन में पूरा किया जा सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बचाव योजना के अनुसार पुलिस और दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की शुरुआत करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव में भाग लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह काम क़ानून के अनुसार किया जाए।

व्याख्या

बचाव वाले दिन NGO प्रतिनिधियों को ये करना चाहिए:

- **बचाव से पहले किसी एक स्थान पर मिलें और संकेत की प्रतीक्षा करें:** बचाव दल के सदस्यों को बचाव से काफ़ी पहले किसी एक स्थान पर मिलना चाहिए और प्रलोभक या पंच गवाहों से संकेत मिलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय बचाव की रणनीति और उसके विभिन्न चरण समझाने चाहिए। बचाव अभियान में हर दल सदस्य की भूमिका समझाएँ और उसके जो भी संशय हों उन्हें दूर करें।

- **निगरानी दल की तैनाती:** एक निगरानी दल को बचाव के स्थान के पास किसी उचित स्थान पर तैनात कर देना चाहिए ताकि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि/बचाव की सूचना दोषियों को मिल जाने के बारे में जानकारी दे सकें।

- **संकेत मिलने पर बचाव स्थल में प्रवेश करें:** NGO सहभागी को उचित स्थान पर पहुँचने पर तुरंत ही बचाव स्थल, जहाँ पीड़ित को क़ैद किया या रखा गया है, में प्रवेश करके सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे स्थल की तलाशी हो। पीड़ितों को बक्सों, अटारियों, शौचालयों, क्यूबिकल, अलमारियों, फ़ॉल्स सीलिंग, दीवार पैनलों, स्नानघर आदि में छिपाकर रखा जा सकता है। NGO अन्य छिपाए गए पीड़ितों, बच्चों, अपराधियों और उनका दोष दर्शाने वाली अन्य सामग्री को ढूँढने में बचाए गए व्यक्तियों की सहायता ले सकता है।

- **पुलिस अपराध स्थल के वीडियो/फोटो खींचेगी:** NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अपराध स्थल और अपराधियों के वीडियो या फोटोग्राफिक साक्ष्य रिकॉर्ड करे। सुनिश्चित करें कि NGO का कोई भी सदस्य उपयुक्त अनुमति के बिना पीड़ितों या वेश्यालय स्थल के फोटो या वीडियो न खींचे।

बचाव वाले दिन लिए, अधिवक्ता इनके लिए ज़िम्मेदार होता है:

- **महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने के बारे में सलाह देना:** अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने से संबंधित क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में NGO प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण साक्ष्य ख़ुद इकट्ठे नहीं करने चाहिए।

- **भौतिक बल के उपयोग से बचना:** अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे बचाव कार्य का संचालन करने के दौरान किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक/भौतिक बल और हिंसा का उपयोग न करें।

- **पुलिस संबंधी औपचारिकताएँ:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पुलिस संबंधी औपचारिकताएँ पूरी की जाएँ।

- **जाल-पूर्व (प्री-ट्रैप) पंचनामा:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियान में प्रयोग होने वाले नोटों की मुद्रा और मूल्य-वर्ग से संबंधित जानकारी जाल-पूर्व (प्री-ट्रैप) पंचनामे में नोट की जाए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों गवाह जाल-पूर्व पंचनामे पर हस्ताक्षर करें। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस प्रलोभक ग्राहकों और पंच गवाहों, दोनों को उनकी भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ समझाए।

- **जो अधिवक्ता गवाह है वह मुक़दमे में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है:** अधिवक्ता बचाव अभियान का भाग बन सकता है पर यदि उसे गवाह बनाया गया है तो वह मुक़दमे से पहले की प्रक्रियाओं और मुक़दमे में पीड़ितों का प्रतिनिधि नहीं बन सकता है।

सस्मरणीय बिंदु

फोनों की अभिरक्षा: जानकारी ग़लत हाथों में न पड़े इसके लिए बचाव अभियान दल, जिसमें सरकारी अधिकारी शामिल हैं, के मोबाइल फोन और कोई भी अन्य संचार उपकरण, बचाव से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लिए जा सकते हैं।

बचाव दल का क़ानूनी संघटन सुनिश्चित करें: सुनिश्चित करें कि आपके बचाव दल का संघटन क़ानून के अनुसार हो। **सुनिश्चित करें कि बचाव दल में ऐसा कम-से-कम एक पुलिस अधिकारी हो जिसके पास बचाव अभियान चलाने की क़ानूनी शक्ति हो (विशेष पुलिस अधिकारी या "SPO")** या SI की रैंक से ऊपर का कोई ऐसा पुलिस अधिकारी हो जिसे मैजिस्ट्रेट द्वारा बचाव अभियान चलाने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया हो (और जानकारी के लिए 1.4 के तहत स्मरणीय बिंदु देखें)। स्थानीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाले दो पंच या स्वतंत्र गवाह होने चाहिए, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।

बचाव किट दोबारा जाँचें: सुनिश्चित करें कि आपकी पूरी बचाव टूल किट तैयार हो (विवरण 1.4 के तहत स्मरणीय बिंदु में है)।

सुनिश्चित करें कि आश्रय गृहों को सतर्क कर दिया गया हो: सुनिश्चित करें कि विश्वासनीय और लाइसेंस-प्राप्त सरकारी/NGO आश्रय गृह उतनी संख्या में पीड़ितों को लेने को तैयार हों जितनी का अनुमान है (विवरण स्मरणीय बिंदु 1.4 में है)।

बचाव दल की सुरक्षा सुनिश्चित करें: सुनिश्चित करें कि दल के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक हों, विशेष रूप से महिला पुलिस हवलदार (WPC)। किसी भी परिस्थिति में बचाव अभियान पुलिस सुरक्षा के बिना संचालित नहीं किए जाने चाहिए।

बचाव से पहले FIR करें: वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार के अपराधों की जाँच हेतु UNODC SOP[5] के अनुसार, बचाव FIR दर्ज किए जाने से पहले या के बाद किया जाना संभव है। FIR दर्ज किए जाने से पहले भी बचाव अभियान चलाया जा सकता है क्योंकि ITPA की धाराओं 15 व 16 के तहत अधिकृत बचाव अभियान चलाया जा सकता है:

- **ITPA की धारा 15 के तहत:** जब किसी SPO या, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय मानव-व्यापार-रोधी पुलिस अधिकारी के पास यह मानने का समुचित आधार हो कि ITPA के तहत आने वाला कोई अपराध किया जा रहा है और अविलंब तलाशी आवश्यक है, तो वह अधिकारी वॉरंट के बिना परिसर में घुसकर तलाशी ले सकता है और वहाँ मिले व्यक्तियों को बाहर ला सकता है।

- **ITPA की धारा 16 के तहत:** जब किसी मैजिस्ट्रेट (यानी किसी MM, JMFC, DM या SDM) को किसी व्यक्ति के वाणिज्यिक यौन शोषण के बारे में जानकारी मिले, तो वह SI रैंक के किसी पुलिस अधिकारी या किसी SPO को, या किसी केंद्रीय मानव-व्यापार-रोधी पुलिस अधिकारी (सरकार द्वारा अधिसूचित) को शोषणाधीन व्यक्ति(तियों) को बचाने का निर्देश दे सकता है। उक्त पुलिस अधिकारी सभी पीड़ितों का बचाव कर सकता है, सभी संदिग्धों को अभिरक्षा में ले सकता है, और उन्हें आदेश जारी करने वाले मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है।

अधिकतर मामलों में, बचाव के बाद, बचाए जा रहे व्यक्तियों के बयान के आधार पर FIR दर्ज की जाती है।

बचाए गए व्यक्तियों को हटाए जाते समय आरोपित उपस्थित न हों: NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब पीड़ितों को किसी सुरक्षित स्थान ले जाया जा रहा हो तो वहाँ आरोपित व्यक्ति मौजूद न हों।

मीडिया को साथ लेना: मीडिया को केवल बचाव के बाद ही साथ लेना चाहिए। मीडिया को साथ लेते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

- सही-सही तथ्य बताएँ। आँकड़े बताते समय स्रोत बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे, दी जा रही जानकारी को विश्वसनीयता मिलती है।
- अपने संगठन की एक मीडिया नीति तैयार करें, जिनमें उन प्रतिनिधियों के नाम लिखें जिन्हें मीडिया से बात करनी चाहिए। मीडिया से बात करने का अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त करना महत्वपूर्ण है।
- यदि आपकी बातों को ग़लत कोट किया जाए, तो NGO प्रतिनिधि को लिखित में सुधार की माँग करनी चाहिए।
- बचाव अभियान सफल हो जाने के बाद मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति प्रदान करना हमेशा बेहतर होता है।
- कहानियाँ साझा करने का उद्देश्य हमेशा मानव व्यापार के बारे में जागरुकता फैलाना, आम जनता को संवेदनशील बनाना, और अवैध यौन व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई करना ही होना चाहिए। कहानियाँ देते समय, सुनिश्चित करें कि कहानी को राजनीतिक रंग न मिलने पाए या वह पीड़ित की पहचान की ओर ध्यान न खींचती हो।
- NGO प्रतिनिधियों को विश्वसनीय मीडिया कंपनियों से संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने-अपने ज़िलों में मीडिया संपर्कों का एक अंदरूनी डेटाबेस बना लेने से मदद मिलती है।

[5] Standard Operating Procedures on Investigating Crimes of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation, 2007, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रकाशन, यहाँ उपलब्ध: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/SOP_on_Investigation_of_Crimes_of_Trafficking_for_Commercial.pdf>.

- यदि बचाया गया व्यक्ति असहज है और अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहता है तो मीडिया को कहानी की पेशकश न करें। शक्ति के अंतर और सहमति के विचार के अनुभव की कमी के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि इनके कारण पीड़ित, सचमुच में सहज न होने के बावजूद या उलझावों को समझने बिना ही अपनी स्वीकृति ज़ाहिर कर सकता है। पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी (जैसे नाम, फोटो या पैतृक गाँव) प्रकट न करें।
- NGO को बच्चों से संबंधित रिपोर्टिंग के मानक अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों से ख़ुद को परिचित करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के अनुरूप एक आंतरिक बाल संरक्षण नीति तैयार करनी चाहिए।

पीड़ित या बचाए गए व्यक्ति से सहमति लिए बिना उसकी कहानी कभी-भी साझा न करें। बचाए गए व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने से पहले उसे पढ़कर सुनाने और समझाने के लिए एक सहमति फ़ॉर्म तैयार करें। **पीड़ितों के असली नाम कभी नहीं बताने चाहिए।** यह ध्यान रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि:

- मीडिया को साथ लेने से बचाव कार्य कभी-भी ख़तरे में नहीं पड़ना चाहिए।
- NGO प्रतिनिधियों को किसी भी पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति पर उसकी कहानियाँ साझा करने के लिए कभी-भी दबाव नहीं डालना चाहिए या उसे विवश नहीं करना चाहिए।
- रिपोर्टिंग के प्रयोजनों से किसी दूसरे नाम का उपयोग किया जा सकता है।

पीड़ितों को विवश नहीं किया जाना चाहिए: NGO प्रतिनिधियों और/या अधिवक्ताओं को किसी पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति पर अपनी कहानियाँ साझा करने का दबाव नहीं डालना चाहिए या उसे विवश नहीं करना चाहिए।

चरण 6 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव स्थल को सुरक्षित करना

समयसीमा: बचाव स्थल को बचाव वाले दिन सुरक्षित किया जा सकता है।

NGO	अधिवक्ता
बचाव की जगह को सुरक्षित करने में NGO को पुलिस की सहायता करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पीड़ितों को बचा लिया जाए और बचाव के दौरान वे सुरक्षित रहें।	अधिवक्ता को बचाव स्थल को सुरक्षित करने से जुड़ी क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO को और (यदि ज़रूरी हो तो) पुलिस को जानकारी देनी चाहिए।

व्याख्या	
NGO प्रतिनिधियों को बचाव स्थल को सावधानी से सुरक्षित करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्य खोने न पाएँ।	अधिवक्ता को बचाव स्थल को सुरक्षित करने में बचाव दल की सहायता करनी चाहिए और बचाव अभियान की क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए।

चरण 7 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को आरोपितों से अलग करना

समयसीमा: बचाव के तुरंत बाद पीड़ितों को आरोपितों से अलग कर देना चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को दोषियों से अलग करने में और बचाए गए पीड़ितों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को पुलिस को यह बताना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को दोषियों से अलग किया जाना चाहिए ताकि एक सुरक्षित और क़ानून-सम्मत जाँच सुनिश्चित हो सके।

व्याख्या	
NGO प्रतिनिधियों को पुलिस को तुरंत ही पीड़ितों को आरोपितों से अलग करने में सहायता देनी चाहिए ताकि पीड़ितों का उत्पीड़न न हो या उन्हें डराया-धमकाया न जाए। NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों से गरिमापूर्वक और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए, अपराधियों की तरह नहीं। NGO प्रतिनिधियों को महिला पुलिस हवलदारों को प्रेरित करना चाहिए कि वे बचाव स्थल पर संभावित पीड़ितों से बातचीत करें। NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों के शारीरिक हाव-भावों के प्रति भी सजग रहना चाहिए और वेश्यालय में किसी भी पीड़ित को अनावश्यक रूप से छूना नहीं चाहिए या उस पर भौतिक बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस कार्मिक वेश्यालय में अश्लील या अभद्र भाषा का उपयोग न करें या वहाँ के सहवासियों को शारीरिक नुक़सान न पहुँचाएँ। NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव दल के पुरुष सदस्य महिला पीड़ितों को न छुएँ।	अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे बचाव के दौरान किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक/भौतिक बल और हिंसा का उपयोग न करें। अधिवक्ता को पीड़ितों को महिला समाजसेवियों/परामर्शदा-ताओं की अभिरक्षा में और फिर संरक्षक सरकारी अभिरक्षा में पहुँचाने में सहायता करनी चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

पीड़ितों से गरिमापूर्वक व्यवहार करें: पीड़ितों के पास उनसे गरिमापूर्वक व्यवहार किए जाने का अधिकार है। NGO प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारी जो भी कार्रवाई शुरू करें वह पीड़ित-हितैषी कार्यविधियों पर आधारित हो और बचाव प्रक्रिया के दौरान उसे किसी महिला पुलिस हवलदार (WPC) द्वारा संचालित किया जाए। पीड़ित को हमेशा यह जानकारी दी जानी चाहिए उसके पास कौन-कौनसे अधिकार हैं और यह कि उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप के सभी चरणों के दौरान पीड़ितों को जानकारी के विभिन्न चरणों के बारे में सूचित रखना चाहिए और उसे सहायता देनी चाहिए।

बचाव प्रक्रिया के दौरान यदि पीड़ित अभद्र भाषा का उपयोग करें या सहयोग न करें तो ख़ुद को अपमानित महसूस न करें क्योंकि वे सदमे से गुज़र रहे हैं।

सुनिश्चित करें कि पूरी प्रक्रिया के दौरान और जब तक पीड़ित किसी सरकारी या निजी लाइसेंस-प्राप्त आश्रय गृह की अभिरक्षा में न पहुँच जाएँ तब तक उनके साथ WPC और NGO के समाजसेवी उनकी रखवाली के लिए रहें।
बचाव दल में एक ऐसा पेशेवर परामर्शदाता या समाजसेवी होना चाहिए जो सदमे के लक्षणों को संभालने में प्रशिक्षित हो। इससे पीड़ितों का डर घटेगा और उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें उन्हीं की सुरक्षा, स्वतंत्रता और संरक्षण के लिए वेश्यालय से निकाला जा रहा है।

पीड़ित का हित ही सर्वोपरि है: यदि पीड़ित अपराधों या दुर्व्यवहार के विवरण बताना न चाह रहे हों तो उन्हें विवश न करें। पीड़ित को किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा परामर्श मिलना चाहिए। अनुवादकों का उपयोग करें, ताकि पीड़ित अपनी ख़ुद की भाषा में बयान दे पाएँ।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा[6] सुझाती है कि पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए:

पीड़ितों से सहानुभूति से व्यवहार किया जाना चाहिए और वे न्याय तंत्र के उपयोग के अधिकारी हैं (सिद्धांत 4)।

जहाँ आवश्यक हो वहाँ, पीड़ितों को औपचारिक या अनौपचारिक कार्यविधियों के माध्यम से निवारण पाने में सक्षम बनाने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें मज़बूत किया जाना चाहिए (सिद्धांत 5)।

संपूर्ण क़ानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को उचित सहायता दी जानी चाहिए (सिद्धांत 6 (c))।

पीड़ितों की असुविधा को न्यूनतम करने के उपाय किए जाने चाहिए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उनकी निजता की सुरक्षा की जानी चाहिए। साथ ही, पीड़ितों को, उनके परिवारों को, और उनके गवाहों को डराए-धमकाए जाने और प्रतिशोध से सुरक्षा दी जानी चाहिए (सिद्धांत 6 (d))।

पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए (सिद्धांत 12 (a))। मामलों के निपटारों और पीड़ितों को अधिनिर्णय प्रदान करने वाले आदेश कार्यान्वित करने में अनावश्यक देरी से बचना चाहिए (सिद्धांत 6 (e))।

चरण 8 अवैध यौन व्यापार के साक्ष्य इकट्ठा करना

समयसीमा: बचाव स्थल से उसी दिन साक्ष्य इकट्ठे कर लेने चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अवैध यौन व्यापार की पहचान और उसे साबित करने वाले सभी साक्ष्य इकट्ठे कर ले।	अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा करने से जुड़े क़ानूनों के बारे में NGO को बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस सभी मौजूद साक्ष्यों को अपने क़ब्ज़े में ले ले।

व्याख्या

NGO	अधिवक्ता
NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों[7] की उपस्थिति में पुलिस सभी संभावित महत्वपूर्ण साक्ष्य (जैसे वेश्यालय में मौजूद डायरियाँ और रजिस्टर, खाते, लेखा बहियाँ जो अन्य मानव व्यापारियों के साथ नेटवर्किंग दिखाती हों, नक़दी, बिजली के बिल, टेलीफोन व पानी के बिल और अन्य बिल, राशन कार्ड, नगर पालिका/नगर निगम की कर रसीदें, यात्रा दस्तावेज़, फोटोग्राफ, एल्बम, प्रयुक्त और अप्रयुक्त कॉन्डम) इकट्ठे कर ले; ये सुबूत अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। NGO पुलिस से फ़ोरेंसिक जाँच हेतु सामग्री इकट्ठी करने को कह सकता है।	अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने से संबंधित क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में NGO प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण साक्ष्य ख़ुद इकट्ठे नहीं करने चाहिए। अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित साक्ष्यों को पंचनामे/ज़ब्ती ज्ञापन में शामिल कर लिया जाए। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस घटना स्थल पर ही गवाहों/स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा/ज़ब्ती ज्ञापन और एक स्थल नक्शा तैयार करे। उस पर दो या अधिक गवाहों के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनमें से एक को उसी क्षेत्र/मोहल्ले से होना चाहिए जहाँ तलाशी की जा रही है। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम-से-कम एक गवाह महिला हो। महिला गवाह का उस क्षेत्र/मोहल्ले से होना ज़रूरी नहीं है जहाँ बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिवक्ता को पुलिस को किसी NGO की महिला गवाह को साथ लेने की सलाह देनी चाहिए।

[6] *https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/victims.pdf.*

[7] *See Sec.15(2), ITPA.*

चरण 9 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करना

समयसीमा: आदर्श रूप से, जैसे ही पीड़ित से परामर्श हो जाए और यह दिखने लगे कि वह सदमे से उबर गया है, वैसे ही उसका बयान रिकॉर्ड कर लेना चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ितों के बयानों को रिकॉर्ड करने का काम शुरू होने से पहले उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए।

व्याख्या

NGO	अधिवक्ता
NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को बोलने पर विवश न किया जाए और यह कि कोई प्रशिक्षित परामर्शदाता पीड़ित से परामर्श करे। जो पीड़ित कोई अन्य भाषा बोलते हों उनके लिए NGO प्रतिनिधि को अनुवादकों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। NGO प्रतिनिधि को पीड़ितों से अच्छे से मेलजोल करना चाहिए और इस बारे में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए कि उनका व्यापार कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उनसे कितने समय से दुर्व्यवहार हो रहा है।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत विवरण, आयु, पता, पारिवारिक इतिहास आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए पीड़ित का विस्तृत साक्षात्कार लिया जाए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्षात्कार किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाए या किसी NGO की महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लिया जाए।

सस्मरणीय बिंदु

बयान रिकॉर्ड करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- पीड़ित से मेलजोल बढ़ाना: पीड़ित से मेलजोल बढ़ाना सच्चे बयान प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पीड़ित के साथ समय बिताना, मेलजोल बढ़ाने के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। हालाँकि, ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता है, विशेष रूप से तब जब बचाव वाली रात धारा 161 बयान लिया जा रहा हो। फिर भी, मेलजोल बढ़ाने के कुछ आम तरीके हैं: यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित अपनी कहानी बताने में सहज हो, बयान लेने की पूरी प्रक्रिया समझाना और यह समझाना कि पीड़ित का सच बोलना क्यों महत्वपूर्ण है।
- पुलिस और परिवीक्षा अधिकारी के साथ काम करना: सच्चा बयान प्राप्त करने के लिए NGO के क़ानूनी स्टाफ़ को पुलिस और/या परिवीक्षा अधिकारी के साथ भी समीपता से काम करना होता है।
- गोपनीयता: बचाए गए व्यक्ति का विश्वास जीतने के लिए गोपनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालाँकि, अच्छा और सच्चा बयान प्राप्त करने के लिए बचाए गए पीड़ित को बोलने और अपनी कहानी बताने को प्रेरित करना भी इतना ही महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल, बचाए गए पीड़ित पर उसकी कहानी बताने के लिए अनैतिक ढंग से दबाव कभी नहीं डालना चाहिए।

धारा 161 और 164 बयान रिकॉर्ड करने के बारे में जानकारी के लिए चरण 2.6 देखें।

पीड़ितों की सुरक्षा: बचाव स्थल पर, सभी पीड़ितों की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें।
यदि आरोपित द्वारा हिंसक दुर्व्यवहार का इतिहास हो तो सावधानी बरतें: यदि शिकायतकर्ता आरोपित द्वारा हिंसा का इतिहास बताए तो विशेष सावधानी बरतें।

अवयस्कों और बच्चों का बचाव: यदि बचाया गया पीड़ित अवयस्क या बच्चा है, तो उसे बाल कल्याण समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

बाल कल्याण समिति: बाल कल्याण समिति (चाइल्ड वेलफ़ेयर कमेटी, CWC) एक सांविधिक निकाय है जिसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत गठित किया गया है। हर ज़िले के लिए कम-से-कम एक CWC गठित करना आवश्यक है। CWC का गठन एक अध्यक्ष और चार सदस्यों को मिलाकर होता है, जिनमें से कम-से-कम एक महिला होनी चाहिए। अध्यक्ष को बाल कल्याण के विषय में अनुभवी होना चाहिए। CWC की शक्तियाँ महानगरीय मैजिस्ट्रेट या प्रथम वर्गीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समतुल्य होती हैं। CWC वह एकमात्र निकाय है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के कल्याण का निर्धारण करने हेतु ज़िम्मेदार होता है। "देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा" माने गए बच्चे को कोई भी CWC के सामने पेश कर सकता है।

CWC और नवीन किशोर न्याय अधिनियम (JJA), 2015: नवीन JJA 2015 ने CWC की कार्यक्षमता में कुछ बदलाव किए हैं:

- CWC अब अंतिम प्राधिकरण नहीं है: किशोर न्याय अधिनियम (JJA), 2015 पारित हो जाने के बाद, अब CWC देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में अंतिम प्राधिकरण नहीं रह गया है। JJA की धारा 27(10) कहती है कि बाल कल्याण समिति के लिए शिकायतों के निवारण का प्राधिकार ज़िलाधिकारी को होगा और बच्चे से संबंधित कोई भी व्यक्ति ज़िलाधिकारी के सामने याचिका पेश कर सकता है, जो उस पर विचार करके उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।
- सभी बच्चों की सामाजिक जाँच 15 दिनों के भीतर पूरी करके प्रस्तुत की जाएगी: JJA 2015 की धारा 36 के तहत, CWC उसके सामने प्रस्तुत किए गए सभी बच्चों की जाँच करेगी। इस धारा के तहत, किसी समाजसेवी या बाल कल्याण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तेज़ी से सामाजिक जाँच की जाएगी और 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- 4 माह के भीतर अंतिम आदेश: सामाजिक जाँच रिपोर्ट CWC के सामने 15 दिनों के भीतर पेश कर दी जाएगी ताकि CWC के सामने बच्चे को पहली बार पेश किए जाने के समय से 4 माह के भीतर CWC अंतिम आदेश जारी कर सके।

बचाव के बाद, NGO प्रतिनिधियों को सावधानी बरतकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अवयस्कों और बच्चों को CWC के सामने पेश किया जाए ताकि उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएँ और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए जाएँ।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

संवेदनशीलता और शुद्धता के साथ पीड़ित का बयान रिकॉर्ड करने के तरीक़े के बारे में और जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 10 पीड़ितों की सुरक्षा करने वाली अभिरक्षा सुनिश्चित करना

समयसीमा: जहाँ तक हो सके, पीड़ितों की सुरक्षा करने वाली अभिरक्षा बचाव वाले दिन ही सुनिश्चित कर देनी चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
जब बचाए गए व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पेश किया जाए तो NGO को उनके साथ होना चाहिए।	जब बचाए गए पीड़ितों को मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पेश किया जाए तो अधिवक्ता को NGO को सलाह व सहायता देनी चाहिए।
व्याख्या	
नीचे दिए गए चरण 2.2 के बाद, मैजिस्ट्रेट या CWC तय करेंगे कि बचाए गए व्यक्तियों को एक निश्चित समयावधि के लिए किस गृह में रखना है। बचाए गए पीड़ित(तों) को किसी ऐसे संरक्षण/बाल गृह को सौंपना चाहिए जो या तो किसी NGO द्वारा या सरकार द्वारा संचालित हो। देखभाल स्टाफ़ को पीड़ितों से संरक्षात्मक अभिरक्षा में उनके रहने के बारे में और इस बारे में परामर्श करना चाहिए कि उन्हें उन्हीं की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए यहाँ अस्थायी आधार पर रखा गया है। बचाया गया पीड़ित जब-जब अपने सुरक्षित स्थल को जाए या वहाँ से आए, तब-तब NGO देखभाल स्टाफ़ को उसके साथ रहना चाहिए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेश्यालय को तालाबंद कर दिया जाए और चाबियाँ पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएँ। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बचाए गए व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा में ले जाए। यदि मैजिस्ट्रेट/CWC कार्यालय में हों और ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे चोट रिपोर्ट, अग्रेषण रिपोर्ट) तैयार किए जाने हों, तो बचाए गए व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा में मैजिस्ट्रेट/CWC के पास ले जाया जा सकता है। यदि बचाव कार्य सूर्यास्त के बाद किया गया हो और मैजिस्ट्रेट या CWC अनुपलब्ध हों, तो बचाए गए व्यक्ति को किसी आश्रय गृह या बाल गृह में ले जाकर रखना चाहिए। बचाए गए व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में रात भर पुलिस स्टेशन में नहीं रखना चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि FIR शीघ्रता से पंजीकृत की जाए और यह कि बचाए गए व्यक्तियों को FIR की प्रति मिले।

JVI JUSTICE VENTURES INTERNATIONAL